राजस्थान उच्च न्यायालय , जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 31/2024

निकिता चलाना पुत्री राकेश चलाना, आयु लगभग 29 वर्ष, निवासी मकान नं. 9, गली नं. 7, सेतिया कॉलोनी, श्रीगंगानगर, राजस्थान।

---याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा विभाग, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।

2. निदेशक (सार्वजनिक स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य भवन, टीका मार्ग, जयपुर।

---प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए: श्री ओ.एस. चौहान

प्रतिवादी(ओं) के लिए:

माननीय न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

आदेश(मौखिक)

07/05/2024

1. याचिकाकर्ता ने प्रतिवादियों को यह निर्देश देने की मांग की है कि वे उसे दिनांक 18.05.2020 (अनुलग्नक-3) के आदेश के अनुसार चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दें, जिसके तहत उसे नियुक्ति दी गई थी।

2. रिट याचिका में दिए गए प्रासंगिक तथ्य यह हैं कि प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दिसंबर, 2019 में चिकित्सा अधिकारी के 737 पदों को भरने के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। याचिकाकर्ता ने पात्र उम्मीदवार होने के नाते इसके लिए आवेदन किया। प्रतिवादियों ने जनवरी, 2020 में लिखित परीक्षा आयोजित की, जिसमें याचिकाकर्ता ने 61 अंक प्राप्त किए।

2.1. इसके बाद प्रतिवादियों ने चिकित्सा अधिकारी के पद पर चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति देने के लिए पहली चयन सूची जारी की, जिसमें याचिकाकर्ता मेरिट में स्थान पाने में विफल रही। महामारी के चरम काल में प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा जारी दिनांक 18.05.2020 के आदेश के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी के पद पर नियुक्ति प्रदान करने के लिए प्रतीक्षा सूची से 237 उम्मीदवारों का चयन किया गया था, जिसमें याचिकाकर्ता का नाम क्रमांक 110 पर अंकित था। यह कहा गया है कि प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ता को उसके चयन के संबंध में कोई संचार पत्र जारी नहीं किया। परिणामस्वरूप, अनजान होने के कारण याचिकाकर्ता चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं कर सकी।

2.2. जब याचिकाकर्ता को चिकित्सा अधिकारी के पद पर अपने चयन के बारे में पता चला, तो उसने तुरंत प्रतिवादियों से संपर्क किया ताकि उसे कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति मिल सके, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।

याचिकाकर्ता ने प्रतिवादियों को एक अभ्यावेदन भी प्रस्तुत किया, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया। इसलिए यह याचिका।

3. याचिका में दिए गए उपरोक्त कथन से यह पता चलता है कि याचिकाकर्ता का मामला यह है कि चयन के बावजूद वह ज्वाइनिंग के लिए रिपोर्ट नहीं कर सकी, क्योंकि कोविड-19 के कारण वैश्विक महामारी के कारण प्रासंगिक समय पर मौजूद विशेष परिस्थितियों के कारण उसे इसकी जानकारी नहीं हो सकी।

4. सामान्यतः यह न्यायालय देरी और लापरवाही के आधार पर हस्तक्षेप करने से बचता, लेकिन मई, 2020 में जब याचिकाकर्ता का चयन हुआ, तब महामारी अपने चरम पर थी और पूरा देश पूरी तरह से ठहर गया था। न केवल सरकारी कार्यालय, बल्कि सभी निजी संस्थान और सार्वजनिक जीवन भी लॉकडाउन लागू होने के कारण ठप्प था। ऐसी परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता के पास शायद अपनी चयन प्रक्रिया की स्थिति को सत्यापित करने के लिए साधन नहीं थे।

5. उसे संदेह का लाभ देते हुए, प्रतिवादियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे याचिकाकर्ता के लंबित अभ्यावेदन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे और उचित आदेश पारित करेंगे, बशर्ते कि काम की आवश्यकता हो और पद अभी भी खाली पड़ा हो। यदि व्यापक जनहित को ध्यान में रखा जाए तो यह सराहनीय होगा, क्योंकि राजस्थान राज्य में चिकित्सा अधिकारियों की निरंतर कमी है तथा विभाग चिकित्सा अधिकारियों के पद को भरने के लिए हमेशा उपयुक्त मानव संसाधन की तलाश में रहता है।

6. तदनुसार निपटारा किया जाता है।

7. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का भी निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा), न्यायाधीश

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।